तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/6/25	त्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है न्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अ त्रावली माहिक कार्यवाही हेतु दिनांक 10.7.25 को पेश हो [signature]
10/7/25	वकील वादि उप० बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 15/7/25 को पेश हो। [initial]
15/7/25	वकील वादि अनुप० अन्य कार्य में व्यस्त होने से निर्णय नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 22/7/25 को पेश हो। [initial]
22/7/25	...ली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्री... ...खण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। ...कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत ...ली माहिक कार्यवाही हेतु दिनांक 19.8.25 को पेश हो [signature]
19/8/25	वकील प्रार्थी उप० बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 29/8/25 को पेश हो।
29/8/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी तR रिपोर्ट एवं दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली के मल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
283/दावा/2025	08.04.2025	29.08.2025

1. अशोक कुमार चान्दना उम्र वयस्क पुत्र श्री लक्ष्मणदास जाति पंजाबी निवासी डडवाड़ा कोटा जंक्शन तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।
2. रवि चान्दना उम्र वयस्क पुत्र श्री लक्ष्मणदास जाति पंजाबी निवासी डडवाड़ा कोटा जंक्शन तहसील लाडपूरा जिला कोटा राजस्थान ।

वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान ।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्तावादीः– श्री नन्दसिंह सौलंकी

अधिवक्ता प्रतिवादीः– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आरटी एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आरटी एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 1295/847 रकबा 0.3804 हैक्टेयर वाके ग्राम अकतासा तालेडा तहसील तालेडा जिला बुन्दी राजस्थान में विस्थित हैं जो वर्तमान जमाबन्दी मे वादीगण की खातेदारी मे दर्ज है। वादीगण उक्त वाद वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है वादीगण द्वारा जरये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उक्त भूमि क्रय की थीं जिसका नामान्तकरण तस्दीक करते समय ततसमय हम वादीगण की जाति गुर्जर दर्ज हो गई जो कि गलत दर्ज हुई जबकि हम वादीगण की जाति सभी दस्तावेजो में पंजाबी अंकित है। वादीगण की भूमि जो चरण संख्या 1 में वर्णित है का जब नामान्तकरण दर्ज हुआ तो उक्त भूमि पर हम वादीगण की जाति गूर्जर दर्ज हो गई, जबकि हम वादीगण द्वारा तहसील तालेड़ा में इस सम्बंध में शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु जाति सही दर्ज नही हुई जो कि राजस्थान राज्य की गलती से हुआ एवं आनन–फानन में वादीगण की जाति गूर्जर ही दर्ज कर दिया तथा वाद वर्णित कृषि भूमि में वादीगण के हक अधिकार मानने से ही इनकार कर दिया। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से तहसीलदार तालेडा के विरूद्ध इस आशय की अधिकार घोषणा की डिकृी प्राप्त करे की वादीगण की जाति वर्तमान जमाबन्दी व राजस्व रिकार्ड में पंजाबी दर्ज की जाये तथा वादीगण खातेदार होने के नाते उक्त भूमि पर वादीगण का हक व अधिकार है तथा वादीगण खातेदार होने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादीगण की जाति पंजाबी दर्ज करने का आदेश प्राप्त करे। गलत जाति के चलते वादीगण को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एवं इस बावत् जब वादीगण द्वारा तहसीलदार तालेड़ा एक माह पूर्व निवेदन किया की वादीगण की जाति शुद्ध की जावे तो तहसीलदार तालेडा द्वारा वादीगण के साथ टालमटौल की गई एवं वादीगण की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया एवं वाद वर्णित भूमि से वादीगण का हक व अधिकार मानने से ही इनकार कर दिया। वादीगण द्वारा एक माह पूर्व तहसीलदार तालेड़ा से जाति शुद्धीकरण के लिए निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा द्वारा वादीगण की बात नही सुनी गई एवं वादीगण की जाति शुद्धिकरण के सम्बन्ध मे कोई कार्यवाही नहीं की गई। गलत जाति दर्ज होने से वादीगण को उक्त भूमि कि सम्बंध मे केसीसी, सरकारी/गैर सरकारी योजनाओ का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गलत नाम दर्ज होने से वादीगण को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण माननीय न्यायालय से यह अधिकार रखते है कि वादीगण की भूमि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित पर काबिज काश्त के आधार पर एवं दस्तावेजो के आधार तहरसीलदार तालेड़ा को आदेशित करे कि पुनः वादीगण के खाते की भूमि जो कादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित है पर वादीगण की जाति पंजाबी दर्ज कर अंकित करे। अतः मान्यवर से प्रार्थना है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1295/847 रकबा 0.3804 हैक्टेयर वाके ग्राम अकतासा तालेड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान की भूमि पर वर्तमान में वादीगण की काबिज स्थिति को देखते हुये एवं दरस्तावेजो के आधार पर जाति पंजाबी दर्ज कर वादीगण के हक व अधिकारो की घोषणा कर राजस्व जमाबन्दी में वादीगण की जाति पंजाबी दर्ज कर शुद्धीकरण करने हेतु तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से जर्ये तहसीलदार तालेडा ने जर्ये पत्रांक 1997 दिनांक 02.06.2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम अकतासा के नामान्तकरण सं0 510 दिनांक 15.04.2025 में उपरोक्त दोनो खातेदारान् की जाति दर्ज रेकार्ड नहीं है। मुताबिक इकरारनामा बेचान दिनांक 15.02.2025 में अशोक कुमार उम्र 38 आ0 श्री लक्ष्मणदास चान्दना जाति पंजाबी निवासी स्टेशन डडवाडा कोटा जंक्शन तह0 जिला कोटा दर्ज है।

वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2076 खाता सं0 7 वाके ग्राम अकतासा , आधारकार्ड प्रति पेश की।

पेरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा अनुसार अशोक कुमार चांदना जाति पंजाबी होना अवगत कराया है।

वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वादीगण की भूमि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णितकृषि भूमि खसरा संख्या 1295/847 रकबा 0.3804 हैक्टेयर वाके ग्राम अकतासा तालेड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान की भूमि पर वर्तमान में वादीगण की काबिज स्थिति को देखते हुये एवं दरस्तावेजो के आधार पर जाति पंजाबी दर्ज करने का निवेदन किया।

दोराने बहस पेरोकार सरकार ने वादीगण की जाति तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट अनुसार पंजाबी दर्ज करने पर सहमति व्यक्ति की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने से यह प्रमाणित होता है कि अशोक कुमार चान्दना उम्र वयस्क पुत्र श्री लक्ष्मणदास जाति पंजाबी निवासी डडवाड़ा कोटा जंक्शन एवं रवि चान्दना उम्र वयस्क पुत्र श्री लक्ष्मणदास जाति पंजाबी निवासी डडवाड़ा कोटा जंक्शन तहसील लाडपूरा जिला कोटा राजस्थान की जाति पंजाबी है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण के खातेदारी में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1295/847 रकबा 0.3804 हैक्टेयर वाके ग्राम अकतासा तालेडा तहसील तालेडा जिला बुन्दी राजस्थान में विस्थित है, में दस्तावेजो एवं रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा के आधार पर जमाबन्दी में खातेदारान् अशोक कुमार चान्दना उम्र वयस्क पुत्र श्री लक्ष्मणदास की जाति पंजाबी दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनस्वीं नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner